पत्रांक : 33 / वि॰ (विविध)–134 / 2023......414....../वि०

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी आयुक्त / उपायुक्त,
सभी कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी,
झारखण्ड।

रॉंची / दिनांक 24/02/2025

विषय : राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किये जाने हेतु राज्य कर्मियों को नियत चिकित्सा भत्ता के भुगतान के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने के संबंध में स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का संकल्प संख्या 13(13) दिनांक 24.01.2025 निर्गत है। उक्त संकल्प की कंडिका–4 के अनुसार :–

4. वर्तमान में राज्य सरकार के सभी कर्मियों को प्रति माह 1000 रुपये चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। इस यो[illegible] त राज्य सरकार के सभी कर्मियों को रु॰ 500/– प्रतिमाह की [illegible] 0/– (छः हजार) रुपया वार्षिक प्रीमियम की राशि की कटौती कर ली जायेगी। बी[illegible] हेतु प्रीमियम की राशि समय–समय पर विभाग के द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। इस योजना के लाभुक हो जाने के उपरांत भी राज्य सरकार के द्वारा ऐसे सभी सरकारी कर्मियों को देय चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह रु॰ 1000/– में से 500/– रुपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता का भुगतान ओ०पी०डी० / जॉच / दवा आदि हेतु पूर्ववत् किया जाएगा। उक्त के अनुरूप माह मार्च 2025 के वेतन विपत्र के माध्यम से 1000/– रु॰ प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता के स्थान पर 500/– रु॰ प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा।

ज्ञातव्य हो कि वित्त विभागीय संकल्प सं० 737/वि० दिनांक 27.03.2018 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को 1000/- रुपये प्रतिमाह नियत चिकित्सा भत्ता अनुमान्य है ।

अतः स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के उक्त संकल्प के आलोक में राज्य सरकार के सभी कर्मियों को माह मार्च 2025 के वेतन विपत्र के माध्यम से नियत चिकित्सा भत्ता 1000/– रु॰ प्रतिमाह के स्थान पर 500/– रु॰ प्रतिमाह प्रदान करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,

21/02/25

(प्रशांत कुमार)
सचिव।

ज्ञापांक : 33 / वि॰ (विविध)–134 / 2023....414 /वि०

रॉंची / दिनांक 24/02/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखण्ड, रॉंची / निदेशक, पेंशन एवं लेखा निदेशालय / निदेशक, कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय / प्रभारी अवर सचिव, पेंशन प्रशाखा / वित्त वैयक्ति दावा निर्धारण कोषांग (प्रशाखा– 18 से 22), वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/25

(प्रशांत कुमार)